कुरीतियाँ, अंधविश्वास एवं महिला मानवाधिकारों का उल्लंघन: जौनपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में एक सामाजिक एवं विधिक अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ

डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध सार

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

LUCKNOW

प्रज्ञा शील करूणा

ESTABLISHED 1996

शोधकर्ता

जितेन्द्र कुमार सरोज

पंजीकरण संख्या – 189/13

शोध सह-पर्यवेक्षक

प्रो.शशि कुमार

आचार्य

विभागाध्यक्ष मानवाधिकार विभाग

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. प्रीति मिश्रा

आचार्या

संकायाध्यक्ष विधि अध्ययन विद्यापीठ

मानवाधिकार विभाग

विधि अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (नैक A++ ग्रेड प्राप्त)

विद्या विहार, रायबरेली रोड

लखनऊ - 226025 (उत्तर प्रदेश)

2024

शोध सार

प्रस्तावना

जिस देश के संविधान का निर्माण ही व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए हुआ हो[1] जिस देश का संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करने की मार्मिक अपील करता हो, उस देश में अंधविश्वास एवं कुरीतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ न सिर्फ फली-फूली बल्कि मानवाधिकरों के उल्लंघन में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सामाजिक बुराईयों ने हमारे बीच सामाजिक विभेद का ऐसा बीज बोया कि भारतीय नारियों को जानवरों की भाँती जीवन जीने पर विवश होना पड़ा जो कभी सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं के मुंडन की प्रथा से त्रस्त थी तो आज दहेज़ प्रथा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, यौन हिंसा, आदि की शिकार हो रही हैं इन सामाजिक कुरीतियों तथा बुराईयों का प्रभाव यहीं तक नहीं रुका बल्कि इन्ही की आड़ में कभी पाखण्डी बाबाओं ने मासूमों के साथ दुराचार किया तो कभी तन्त्र मन्त्र आदि के नाम पर तांत्रिकों ने महिलाओं का शोषण किया साथ ही इन्ही सामाजिक बुराईयों को संरक्षण देने में अनेकों सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सैकड़ो परिवार बर्बाद हो गए, जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठायी उनकी हत्यांएं कर दी गयी।[2] आज भी हमारे देश में इन बुराईयों को राजनीतिक रंग प्रदान कर इसे पोषित किया जा रहा है जिसमें धर्म के ठेकेदार अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं।

भारत में सैकड़ो कानून सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाये गए[3] किन्तु धार्मिक बल प्राप्त इन सामाजिक बुराईयों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ये बल इतने प्रभावी हैं कि इसपर किसी कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम 21वीं सदी के मानवतावादी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहाँ पर सम्पूर्ण विश्व आपसी प्रतिस्पर्धा में विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो रहा है वहीं हमारा देश विभिन्न सामाजिक बुराईयों अंधविश्वास कर्मकाण्डों के माया के माया जाल में फंसा है और इस माया जाल में फंस कर हमारा समाज विकास के मार्ग से भटक रहा है। धर्म रूपी चोला ओढ़े इन सामाजिक बुराईयों से हम इस प्रकार वशीभूत हैं की शिक्षित होते हुए भी आँखों के सामने पड़े पर्दे को नहीं हटा पा रहे हैं। इस धर्मान्धता और अंधविश्वास में हम सामाजिक भेदभाव कर देश की आधी आबादी को हासिये पर रख उनका जीवन संकटमय बनाते चले जा रहे हैं। कुरीतियों एवं अंधविश्वास के आधार पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। इन्ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने इस क्षेत्र में शोध करना श्रेयस्कर

[1] भारतीय संविधान की प्रस्तावना

[2] महाराष्ट्र में काला जादू का विरोध करने पर नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या

[3] सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1829 और 1987, बाल विवाह (निषेध) अधिनियम 2006, 1929 दहेज़ (प्रतिषेध) अधिनियम 1961 आदि

समझा जिससे समाज में उन कारणों का पता लगाया जा सके की इन कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों का मूल क्या है।

कुरीति का अर्थ और परिभाषा

कुरीति शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है कु + रीति, कु का अर्थ है अनुचित, बुरा या भद्दा और रीति का अर्थ है प्रथा अथवा रूढ़ि। कुरीति को समझाने से पूर्व हम रीति अथवा रूढ़ि के बारे में जानते हैं, सामान्यतया रीति अथवा रूढ़ि या प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हैं। जब जनरीतियों को पीढ़ी-दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती हैं प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती हैं और ये कार्य करने के परम्परागत तरीकों पर जोर देती हैं।[4]

हालैण्ड के अनुसार "रूढ़ि आचरण की वह प्रणाली है जिसका सामान्यतः पालन किया जाता है। जिस प्रकार किसी घास के मैदान में पैरों के पड़ते-पड़ते एक पगडण्डी सी तैयार हो जाती है उसी प्रकार नित्य प्रति के व्यवहारों के अनुकरण से प्रथा का जन्म होता है।[5]

कार्टर के अनुसार "समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एकरूपता को रूढ़ि कहते हैं।[6]

आस्टिन के अनुसार "प्रथा व्यवहार का एक नियम है जिसे शासित लोग स्वैच्छिक रूप से पालन करते हैं, परन्तु राजनीतिक श्रेष्ठ के द्वारा प्रतिपादित विधि के द्वारा नहीं।"[7]

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी समुदाय विशेष द्वारा किसी परम्परा का जब स्वेच्छा से पालन किया जाता है तो उनके द्वारा किया गया उनका यही आचरण ही रीति अथवा रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेती है जिस पर चलना और जिसका पालन करना लोग अपने जीवन का अंग समझते हैं।

प्राचीन हिन्दू साहित्य प्रथाओं के अनुरूप ही संव्यवहार करने का निर्देश देते हैं। मनुस्मृति में शासक को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने न्याय-निर्णय को रूढ़िगत प्रथाओं तथा धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर आधारित करें।[8] इसी प्रकार नारदस्मृति[9], बृहस्पति[10], याज्ञवल्क्य[11] सभी इस बात का समर्थन करते हैं की मनुष्य को प्रथाओं के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए।

---

[4] विधिशास्त्र टी.पी. त्रिपाठी पृष्ठ 292

[5] हालैण्ड टी. ई. : एलिमेंट्स ऑफ़ ज्यूरिसप्रूडेन्स

[6] विधिशास्त्र एवं विधि के सिद्धांत डॉ एन. वी. परांजपे पृष्ठ 242

[7] आस्टिन, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेन्स (चौथा संस्करण), पृष्ठ 104-105

[8] विधिशास्त्र एवं विधि के सिद्धांत डॉ एन. वी. परांजपे पृष्ठ 241

[9] 'व्यवहारो हि बलवान् धर्मस्तेनावहीयते।

[10] देहजातिकुलानां च ये धर्मा: प्राक्प्रवर्तिता।
तथैव ते पालनीया: प्रजा प्रक्षुभ्यतेऽन्यथा।।

[11] यस्मिन देशे य: आचारो व्यवहार: कुलस्थिति:।
तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वंशमु पगत:।।

प्रथा अथवा रूढ़ि को भारतीय संविधान विधि का बल प्रदान करता है बशर्ते उससे मौलिक अधिकार प्रभावित न होते हों, किन्तु ऐसा तब संभव है जब इस प्रथा अथवा रूढ़ि में प्राचीनता, निरन्तरता, निश्चितता, संगतता, युक्तियुक्तता, संविधियों से अनुरूपता, विद्यमान हो साथ ही ये अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध न हों तथा शांति पूर्वक इनका अनुपालन लम्बे समय से होता चला आ रहा हो किन्तु ध्यातव्य है कि हमारे अध्ययन का विषय रीति अथवा प्रथा न होकर कुरीति अथवा कुप्रथा है जो उपरोक्त मानकों पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि कुरीतियाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उनमें संगतता, युक्तियुक्तता, संविधियों से अनुरूपता नहीं होती है साथ ही ये अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध होती हैं और इनका शांति पूर्वक अनुपालन नहीं होता। इस प्रकार कुरीतियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) सपठित अनुच्छेद 13(3) की मंशा के अनुरूप नहीं हैं अनुच्छेद 13(1) के अनुसार किसी भी रूढ़ि अथवा प्रथा को विधि का बल तभी प्राप्त होगा जब वह मौलिक अधिकारों को प्रभावित न करती हो अन्यथा वह उस मात्रा तक शून्य घोषित हो जाएगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसलिए इनका प्रचलन और उपयोग न सिर्फ अनैतिक है बल्कि यह संविधान के विरुद्ध है।

अंधविश्वास का अर्थ है

तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है[12] किसी भी बात को बिना सोच समझ के, बिना किसी आधार के चरम सीमा के परे जाकर करना एवं मानना अंधविश्वास हैं। जब हम किसी कही गयी बात को मानने से पूर्व अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस कथन की सत्यता की पुष्टि करते हैं और फिर यह निर्णय लेते हैं कि बात भरोसेमंद है या नहीं तो इस स्थिति को विश्वास कहा जाता है इसके विपरीत बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किये किसी कथन की सत्यता की पुष्टि अंधविश्वास कहलाता है

इस प्रकार अत्यंत ही साधारण शब्दों में कहा जाये तो तो हम कह सकते हैं कि “बिना किसी सम्यक् तार्किक अथवा वैज्ञानिक प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास है”।

शोध उद्देश्य

इस शोध का मेरा उद्देश्य इस प्रकार है –

1. कुरीतियों और अंधविश्वास की अनवरत वृद्धि का कारण जानना;
2. कुरीतियों और अंधविश्वास की पहचान करना और उनके प्रभावों का अध्ययन करना;
3. कुरीतियों और अंधविश्वास के कारण हो रही महिलाओं की दयनीय स्थिति और महिला मानवाधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन;
4. उपरोक्त समस्याओं के उन्मूलन अथवा निवारण हेतु सरकारी, गैर सरकारी प्रयासों और विधि तथा न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन करना और उपाय सुझाना आदि है।

शोध प्रश्न

[12] डॉ. हरदेव बाहरी हिन्दी शब्द-अर्थ-प्रयोग, अभिव्यक्ति प्रकाशन संस्करण 2023 पृष्ट 132

- ❖ क्या प्राचीन भारतीय साहित्य और सामाजिक परिवेश पुरुषवादी मानसिकता को बल प्रदान करता है?
- ❖ क्या कुरीतियों एवं अंधविश्वास के कारण ही महिलाओं का शोषण हो रहा है और उनकी दयनीय स्थिति बनी हुई है?
- ❖ क्या कुरीतियों एवं अंधविश्वास पर भारतीय विधायिका की उदाशीनता ही इनके बढ़ने का कारण हैं?
- ❖ क्या भारत के सामाजिक पिछड़ेपन का कारण कुरीतियों एवं अंधविश्वास हैं?

परिकल्पना

- ➢ भारत में कुरीतियों एवं अंधविश्वास का दायरा निरंतर बढ़ रहा है जो महिलाओं के शोषण का कारण बन रहा;
- ➢ धार्मिक साहित्य और सामाजिक परिवेश का कुरीतियों एवं अंधविश्वास पर बहुत ही गहरा प्रभाव है जिनसे हमारा समाज अनुशासित है;
- ➢ भूत-प्रेत व तन्त्र मन्त्र इत्यादि के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार और उनका शोषण लगातार हो रहा है;
- ➢ प्रस्तुत समस्याओं में सुधार के साधनों के रूप में विधि, एवं न्यायपालिका की भूमिका, सरकारी एवं गैर सरकारी का योगदान पर्याप्त नहीं हैं।

शोध पद्धति

शोधार्थी ने अपने शोध प्रबन्ध की विषयवस्तु को पूर्णता प्रदान करने के लिए दस्तावेजी शोध (Doctrinal Research) और आनुभविक शोध (Empirical Research) दोनों पद्धतियों का सहारा लिया है। दस्तावेजी शोध के लिए शोधार्थी ने साहित्यिक पुस्तकों, विभिन्न अधिनियमों और उनसे संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समचार पत्रों, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचनाओं और इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का सहारा लिया है आनुभविक शोध को पूर्णता प्रदान करने के लिए शोधार्थी ने शोध की गुणात्मक पद्धति को अपनाया है जिसमें उसने साक्षात्कार, शोध विषय से संबंधित मामले का अध्ययन, शोध विषय से संबंधित स्थानों का अवलोकन और उनका अध्ययन कर अपने शोध कार्य को निष्पादित किया है।

विषयवार अध्ययन (Chapterzation)

- **प्रथम अध्याय** – इस अध्याय को **"शोध परिचय"** के नाम से अभिलिखित किया गया है जिसमें कुरीतियों एवं अंधविश्वास का अर्थ और उनकी परिभाषा पर चर्चा की गयी है। शोध उद्देश्य, शोध प्रश्न, शोध परिकल्पना, साहित्यिक समीक्षा और शोध विधि को भी इसी अध्याय में बताया गया है।

- **द्वितीय अध्याय – "कुरीतियों एवं अंधविश्वास के प्रकार"** इस अध्याय में अंधविश्वास के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया हैं जैसे – कुकरी प्रथा, कोना प्रथा, जादू, टोना, तंत्र, मन्त्र, भूत प्रेत, शुभ अशुभ, मांगलिक वधू, आमंगालिक वधू, इत्यादि।
- **तृतीय अध्याय – "कुरीति एवं अंधविश्वास का कारण तथा समाज पर उसका प्रभाव"** इस अध्याय में यह बताने का प्रयास किया गया है कि वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कुरीतियां एवं अंधविश्वास न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि समाज पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है जिससे महिला मानवाधिकारों का निरंतर हनन हो रहा है।
- **चतुर्थ अध्याय – "विधि एवं न्यायपालिका की भूमिका"** इस अध्याय में अंधविश्वास के आधार पर महिला मानवाधिकारों के हनन को रोकने वाली विधियों और न्यायपालिका द्वारा इस क्षेत्र में किये गए प्रयास एवं योगदान की चर्चा की गयी है साथ ही एक केन्द्रीय विधि के आभाव में अपराध की उत्तरोत्तर वृद्धि पर भी चर्चा की गयी है।
- **पंचम अध्याय – "कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के निराकरण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास"** इस अध्याय में सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों की चर्चा की गयी है साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि इन प्रयासों का समाज पर कितना प्रभाव पड़ा और यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसका कारण क्या है इत्यादि।
- **षष्टम अध्याय – "आनुभविक शोध अध्ययन और प्राप्त जानकारी के आधार पर निष्कर्ष"** इस अध्याय में शोधार्थी ने जौनपुर जिले में भ्रमण कर अंधविश्वासों के कारण हो रहे महिला अधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन किया है और अनुभव के आधार पर प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
- **सप्तम अध्याय - "निष्कर्ष और सुझाव के बारे" "** इस अध्याय में शोधार्थी ने संपूर्ण अध्ययन के बाद प्राप्त निष्कर्ष को बताया है साथ ही इस समस्या के निराकरण हेतु सुझाव भी दिए हैं।

प्रथम अध्याय

इस अध्याय को **"शोध परिचय"** के नाम से अभिलिखित किया गया है जिसमें कुरीतियों एवं अंधविश्वास का अर्थ और उनकी परिभाषा पर चर्चा की गयी है। शोध उद्देश्य, शोध प्रश्न, शोध परिकल्पना, साहित्यिक समीक्षा और शोध विधि को भी इसी अध्याय में बताया गया है।

द्वितीय अध्याय: कुरीतियों एवं अंधविश्वास के प्रकार

इस अध्याय में शोधार्थी द्वारा उन कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का अध्ययन किया गया है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय बना दी अध्ययन की सुविधा हेतु शोधार्थी ने कुरीतियों को तीन वर्गों में विभाजित किया है पहला वे कुरीतियाँ, जिनका अस्तित्व अब नहीं है, दूसरा वे कुरीतियाँ जिनका अस्तित्व अब न के बराबर है, और तीसरा वे कुरीतियाँ जिनका अस्तित्व अभी भी समाज में

विद्यमान है। इसी प्रकार इस अध्याय में अंधविश्वासों के विभिन्न प्रकारों की भी चर्चा की गयी है जिनकी वजह से हमारे समाज में आज भी महिलाओं का शोषण जारी है।

द्वितीय अध्याय में वर्णित कुरीतियाँ एवं अंधविश्वासों के प्रकार संक्षेप में

कुरीतियां जिनका अस्तित्व अब नहीं है	कुरीतियां जिनका अस्तित्व न के बराबर है	कुरीतियां जिनका अस्तित्व अभी भी समाज में है
सती प्रथा	बाल विवाह	दहेज़ प्रथा
जौहर प्रथा	विधवा पुनर्विवाह न किये जाने की प्रथा	वेश्यावृत्ति प्रथा
विधवाओं के मुंडन की प्रथा	देवदासी प्रथा	पर्दा प्रथा
नियोग प्रथा	शुद्धिकरण प्रथा	मोक्ष के लिए कोड़े मारने की प्रथा
बहुपत्नी प्रथा	महिलाओं में खतना प्रथा	रजस्वला स्त्री से भेद भाव
नित्यमंगली प्रथा	कन्याओं की हत्या	डाकन प्रथा या टोनही प्रथा
डावरिया प्रथा	परम्परा की रक्षा और पंचायत	गोठ प्रथा
परवर्दाह प्रथा	वर्षा हेतु अविवाहित लड़कियों को नग्न घुमाया जाना	कुकरी प्रथा
सिर पर या हाथ से मैला ढोने की प्रथा		स्वेच्छा के विपरीत सामाजिक दबाव में किया गया व्रत उपवास
मुता विवाह		तीन तलाक
स्तन कर देने की प्रथा		हलाला
नरबलि प्रथा		असम्यक् वैवाहिक कर्मकाण्ड
विधवा प्रथा		विवाह चिन्ह पहनने की प्रथा

अंधविश्वास के प्रकार

1. लिंग निर्धारण में महिला जिम्मेदार
2. बांझपन की शिकार महिला के साथ भेद-भाव
3. जादू टोना-तंत्र मंत्र
4. ज्योतिष
5. विधवा का दर्शन अमंगलकारी
6. सन्तान हीन महिला का दर्शन अमंगलकारी
7. विधवाओं को मांगलिक कार्यों में जाने से रोक
8. बांझपन रोकने हेतु निकरा की तांत्रिक क्रिया
9. वैवाहिक कर्मकाण्ड
10. मांगलिक कन्या के विवाह पूर्व औपचारिकताएं

इस अध्याय में अध्ययन की सुविधा के लिए कुरीतियों के तीन वर्ग बनाए गए हैं वे कुरीतियां जिनका अस्तित्व अब नहीं है, वे जिनका अस्तित्व न के बराबर है और वे कुरीतियां जिनका अस्तित्व अभी भी समाज में है और साथ ही इस अध्याय में अंधविश्वास को अलग वर्ग में रखा गया है।

तृतीय अध्याय: कुरीति एवं अंधविश्वास का कारण तथा समाज पर उसका प्रभाव

इस अध्याय में यह बताने का प्रयास किया गया है कि वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कुरीतियां एवं अंधविश्वास न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि समाज पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है जिससे महिला मानवाधिकारों का निरंतर हनन हो रहा है। संक्षेप में कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं –

1. धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथों में लिखी बातों का सामान्य जन जीवन पर प्रभाव
2. पुरुषवादी मानसिकता
3. अंधविश्वास और कुरीतियों को धार्मिक प्रश्रय या संरक्षण
4. पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था
5. सामाजिक परिवेश
6. समुचित स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय व्यवस्था का अभाव
7. आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है
8. कठोर कानून का अभाव
9. लैंगिक रुढ़िवाद
10. समाज में शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव

चतुर्थ अध्याय: विधि एवं न्यायपालिका की भूमिका

इस अध्याय में अंधविश्वास के आधार पर महिला मानवाधिकारों के हनन को रोकने वाली विधियों और न्यायपालिका द्वारा इस क्षेत्र में किये गए प्रयास एवं योगदान की चर्चा की गयी है। अध्ययन की सुविधा हेतु शोधार्थी ने इस अध्याय में विधियों के तीन वर्ग बनाये हैं प्रथम वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ रखी गयी हैं द्वितीय वर्ग में राष्ट्रीय को रखा गया राष्ट्रीय विधियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है प्रथम स्वतंत्रता के पूर्व बनी विधियाँ और द्वितीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बनी विधियाँ। अंतिम वर्ग अर्थात तृतीय वर्ग में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई गयी विधियों को रखा गया है।

इस अध्याय को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए जिस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य द्वारा निर्मित विधियों की चर्चा की गयी है उसी स्थान पर उनसे संबंधित माननीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए सुसंगत वादों की भी चर्चा की गयी है; साथ ही एक केन्द्रीय विधि के आभाव में अपराध की उत्तरोत्तर वृद्धि पर भी चर्चा की गयी है।

पंचम अध्याय: कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के निराकरण हेतु सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयास”

इस अध्याय में सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों की चर्चा की गयी है। सरकारी प्रयासों के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की चर्चा की गयी और गैर- सरकारी प्रयासों के अंतर्गत भारत में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा किये गए प्रयासों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं सहयोगों की चर्चा की गयी है। गैर-सरकारी प्रयासों के अंतर्गत ही विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा किये गए व्यक्तिगत प्रयासों की भी बात की गयी है। साथ ही यह भी बताने

का प्रयास किया गया है कि इन प्रयासों का समाज पर कितना प्रभाव पड़ा और यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसका कारण क्या है

षष्ट्म अध्याय: आनुभविक शोध अध्ययन और प्राप्त जानकारी के आधार पर निष्कर्ष

इस अध्याय में शोधार्थी ने जौनपुर जिले में भ्रमण कर अंधविश्वासों के कारण हो रहे महिला अधिकारों के हनन का अध्ययन किया है और अनुभव के आधार पर प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

आनुभविक शोध अध्ययन और प्राप्त जानकारी के आधार पर निष्कर्ष

प्रस्तावना

यह अध्याय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की महिलाओं के साथ अंधविश्वास और कुरीतियों के माध्यम से हो रहे शोषण और अत्याचार पर प्रकाश डालता है और स्थानीय स्तर पर इन कुरीतियों और अंधविश्वासों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन करता और साथ ही साथ अपने अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है।

जौनपुर जिसे हम शिराज-ए-हिन्द के नाम से भी जानते हैं एक ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में शर्की शासकों की राजधानी रहा जौनपुर, वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है यहाँ पर अन्य नदियाँ सई वरूणा, बसुही, पीली, मामुर एवं गांगी हैं। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत (1394 और 1479 के बीच) उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिसपर शर्की शासक जौनपुर से शासन करते थे। हिंदी और अवधी यहाँ की मुख्य भाषा है।

जौनपुर जनपद का विस्तार 25°24 और 26°12' के उत्तरी अक्षांश तथा 82°7 पूर्वी देशांतर से 82.7 पूर्वी और 83.5 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसके उत्तर में सुल्तानपुर, उत्तर पश्चिम में प्रतापगढ़, दक्षिण पश्चिम में इलाहाबाद, दक्षिण में वाराणसी, पूर्व में गाजीपुर और उत्तर-पूर्व में आजमगढ़ जनपद स्थित है। जनपद का धरातल समुद्र तल से 261 से 290 फीट ऊंचा है। जनपद का क्षेत्रफल 4021 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के क्षेत्र का 14 प्रतिशत है। इसका आकार सामान्यतः त्रिभुजाकार है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद 06 तहसीलों (जौनपुर सदर, शाहगंज, बदलापुर, मछली शहर, मड़ियाहूं तथा केराकत) 21 विकास खंडों तथा 3386 राजस्व ग्रामों (3290 आबाद, 96 गैर आबाद) एवं 218 न्यायपंचायतों में विभक्त है।

जनगणना 2011 के अनुसार जौनपुर की स्थिति

कुल जनसंख्या	**44,94,204**
पुरुषों	**2220465**
महिलाओं	**2273739**
लिंगानुपात (प्रति 1000)	**1024**
औसत साक्षरता	**71.55**
पुरुष साक्षरता (%)	**83.80**
महिला साक्षरता (%)	**59.81**
शहरी आबादी (%)	**346580**
ग्रामीण आबादी (%)	**4147624**
अनुसूचित जाति (कुल)	**990,345**
अनुसूचित जाति (पुरुष)	**494,226**
अनुसूचित जाति (महिला)	**496,119**
अनुसूचित जनजाति (कुल)	**4,736**
अनुसूचित जनजाति (पुरुष)	**2,363**
अनुसूचित जनजाति (महिला)	**2,373**

भारत उत्तर प्रदेश और जौनपुर का मानचित्र

धार्मिक आधार पर जनसंख्या – जौनपुर जिला[13]

धर्म	कुल	कुल प्रतिशत	पुरुष	महिला
हिंदू	3,981,502	(88.59%)	1,966,809	2,014,693
मुसलमान	483,750	(10.76%)	239,445	244,305

[13] https://www.censusindia.co.in/district/jaunpur-district-uttar-pradesh-194

ईसाई	4,947	(0.11%)	2,383	2,564
सिख	1,286	(0.03%)	653	633
बौद्ध	7,898	(0.18%)	3,892	4,006
जैन	349	(0.01%)	157	192
अन्य धर्म	114	(0%)	55	59
कोई धर्म निर्दिष्ट नहीं	14,358	(0.32%)	7,071	7,287

शोध पद्धति

आनुभविक शोध को पूर्णता प्रदान करने के लिए शोधार्थी ने शोध की गुणात्मक पद्धति को अपनाया है जिसमें उसने व्यष्टि अध्ययन (Case Study) को प्रमुखता दी है इस हेतु उसने साक्षात्कार, शोध विषय से संबंधित मामले का अध्ययन, शोध विषय से संबंधित स्थानों का अवलोकन और उनका अध्ययन कर अपने शोध कार्य को निष्पादित किया है।

व्यष्टि अध्ययन Case Study

एक व्यष्टि अध्ययन को एकल स्थिति के गहन अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है जहां अध्ययन का उद्देश्य जनसंख्या के बड़े वर्गों पर प्रकाश डालना है। इसकी विशेषताएं हैं:

- यह गुणात्मक विश्लेषण की एक विधि है जो काफी गहन और व्यापक है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य एक एकमात्र व्यष्टि की विशिष्टता का पता लगाना है।
- व्यष्टि एक व्यक्ति, एक कक्षा एक संगठन या एक नीति हो सकती है।
- यह स्वाभाविक रूप से होने वाली परिस्थितियों में प्रतिभागियों और अवलोकन के बहु दृष्टिकोणों को महत्त्व देता है।
- इसमें किसी विषय की व्यवस्थित, गहन जांच करना और विषय के बारे में पहले से मौजूद ज्ञान को जोड़ना है।
- यह इकाइयों की पूर्णता को संरक्षित करता है यानी यह वह दृष्टिकोण है जो किसी भी सामाजिक इकाई को समग्र रूप से देखता है।
- यह विषय और इसके संबंधित स्थितियों के बारे में गहन बोध की सुविधा प्रदान करता है जिसमें सामाजिक इकाई में संयुक्त आदतों, लक्षणों और गुणों की विविधता शामिल हो सकती है।

इसलिए, दिए गए बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि व्यष्टि अध्ययन किसी विषय और उससे संबंधित स्थितियों की गहन परीक्षा है।

शोध कार्य हेतु लिए गए साक्षात्कार में उत्तरदाताओं का विवरण

गांव के निवासियों के अलावा, कुरीतियों एवं अंधविश्वास के मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण जानने के लिए मनोचिकित्सकों, मनोविज्ञान के शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, तांत्रिकों, ग्राम प्रधानों, इस विषय पर विशेष समझ रखने वाले लोगों से साक्षात्कार लिया गया उनकी विशिष्टताएँ इस प्रकार हैं:

उत्तरदाताओं का विवरण

मनोचिकित्सक	**5**
शिक्षक मनोविज्ञान	**5**
शिक्षक विधि	**5**
आशा कार्य कर्ता	**30**
तांत्रिक/ओझा,	**20**
ग्राम प्रधान	**20**
ग्रामीण	**50**
पीड़ित	**30**
पीड़ित परिवार	**25**
सामान्य जन	**10**
कुल योग	**200**

उपरोक्त के अलावां शोधार्थी ने अनेक ऐसे स्थानों का अवलोकन किया है जहाँ पर तांत्रिक क्रियावों का कार्यान्वयन होता है साथ ही मानसिक चिकित्सालयों में भ्रमण कर भूत-प्रेत का दावा करने वाले रोगियों से मिलकर जानकारी प्राप्त की है और जानकारी से प्राप्त निष्कर्षों का अध्ययन किया है जिसका विवरण परिशिष्ट में किया जायेगा

1. व्यष्टि अध्ययन (मनोचिकित्सकों से साक्षात्कार)

शोधार्थी - भूत-प्रेत पिशाच आदि का दावा करने वाली महिला किस बीमारी का शिकार होती हैं?

उत्तर – ज्यादातर चिकित्सकों ने स्किज़ोफ्रेनिया, चिंता, हार्मोनल समस्या (डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल की, जो ब्रेन में होते हैं) सिर में चोट, मनोविकार, एकाधिक व्यक्तित्व विकार (डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर), ट्रांस एण्ड पजेसन, हिस्टीरिया नामक बिमारियों को इस समस्या का कारण बताया न कि कोई भूत-प्रेत पिशाच आदि।

शोधार्थी – इन बिमारियों के कौन-कौन से लक्षण हैं?

उत्तर – विद्वान चिकित्सकों का यह मानना है कि इस प्रकार की बिमारियों से ग्रसित लोग आवाज बदल-बदल कर बातें करते हैं जैसे महिला है तो पुरुष के रूप में स्वयं को व्यक्त करेगी या किसी अन्य महिला के रूप में, यानि वह स्वयं को भूत-प्रेत के रूप में प्रस्तुत करती है, कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं जैसे बार-बार बेहोश हो जाना, हाथ-पैर का नहीं चलना, आवाज का नहीं निकलना इत्यादि

शोधार्थी – महिलाएं ही इस समस्या से ज्यादा पीड़ित क्यों होती हैं?

उत्तर – प्रश्न के सन्दर्भ में अधिकतर चिकित्सकों का मानना है कि ग्रामीण परिवेश से आने वाली संयुक्त परिवार की महिलाओं को जब परिवार में सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ केन्द्रित करना होता है तब वह ऐसा करती हैं क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि परिवार में महिलाओं को पर्याप्त सम्मन प्राप्त नहीं हो पाता है।

शोधार्थी – यह बीमारी लोगों को कैसे प्रभावित करती है?

उत्तर – इस संबंध में चिकित्सकों का यह मानना है कि ज्यादातर मानसिक बीमारीयां सबसे पहले सोचने-समझने की शक्ति को प्रभावित करती है जिससे उनकी भावनाएं, प्रतिक्रिया, और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है बीमारी की शुरुआत में इंसान ज़्यादातर अकेले रहना शुरू कर देता है समाज और परिवारवालों से कटने लगता है अपनी दुनिया में खो जाता है बैठे-बैठे सोचता रहेगा, कोई भी खेल नहीं खेलता, कई बार OCD के लक्षण दिखने लगते हैं (यानी एक चीज़ बार-बार करना)।

शोधार्थी – इस प्रकार की बिमारियों का उपचार क्या है?

उत्तर – इस संबंध में सभी चिकित्सक एकमत हैं कि किसी भी तरह के जादू-टोना, अंधविश्वास में न पड़ें इसका एकमात्र उपचार हैं दवाइयां किसी भी मनोचिकत्सक को दिखाएं और निरंतर दवाइयां लें ये दवाइयां लंबी चलती हैं कुछ अवस्था में मरीज को भर्ती भी करवाना पड़ता है, और कभी-कभी मरीज को थेरेपी भी देने पड़ती है जो दो प्रकार की होती हैं प्रथम फार्मेको थेरेपी जिसमें दवाओं के माध्यम से हार्मोन्स की कमी को पूरा किया जाता है और द्वितीय साइको थेरेपी इसमें पीड़ित को समझाया जाता है उसके परिवार वालों को समझाया जाता है उसके नकारात्मक विचरों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक थेरेपी भी की जाती है।

इस प्रकार चिकित्सकों से प्राप्त जानकारी से हमें यह ज्ञात होता है कि भूत-प्रेत जादू टोना जैसा समाज में कुछ नहीं होता है और न ही कोई व्यक्ति इससे प्रभावित होता है यह सब एक प्रकार की मानसिक बीमारियाँ है जिन्हें इलाज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।

2. व्यष्टि अध्ययन (मनोविज्ञान के शिक्षकों से साक्षात्कार)

शोधार्थी – कुरीतियों और अंधविश्वास के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?

उत्तर – इस संबंध में मनोविज्ञान के आचार्यों और सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यों का यह मानना है कि यह पूर्णतः संतुष्टि कर आधारित है जो चीज व्यक्ति को आत्म संतुष्टि देती है व्यक्ति उसी में ही

आस्थावान हो जाता है कभी कभी हम देखते हैं कि यदि हम कहीं जा रहे हैं तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया और जिस वजह से हम जा रहे थे वो काम भी नहीं हो पाया इसी तरह की चीजे यदि दुबारा हो जाती हैं तो हम मन में धारणा बना लेते हैं कि यदि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो काम नहीं होगा इस प्रकार अंधविश्वास हमारे व्यवहार में आ जाता है।

शोधार्थी – आम जनमानस कुरीतियां और अंधविश्वास से कैसे प्रभावित हो जाता है?

उत्तर – इस मामलें में सभी का यह मानना है कि यह यह पूर्णतः सामाजिक परिवेश पर आधारित होता है जो व्यक्ति इस प्रकार के परिवेश में रहता है जहाँ इस तरह की चीजें होती हैं वह आसानी से प्रभावित हो जाता है जबकि जो इस प्रकार के परिवेश में नहीं रहता उस पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता है।

शोधार्थी – अंधविश्वास के प्रति आम धारणा बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर – शिक्षा का प्रसार और जागरूकता तथा वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास।

शोधार्थी – हमारा समाज कुरीतियां और अंधविश्वास से इतनी आसानी से कैसे प्रभावित हो जाता है?

उत्तर – इस मामले में कुछेक को छोड़ कर आम राय यह है कि हमारी मनोवृत्ति यह है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं चीजों को आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे में यदि कोई हमें किसी तंत्र-मन्त्र इत्यादि के माध्यम से सफलता दिलाने का विश्वास दिलाता है तो हम उससे आसानी से आकर्षित हो जाते हैं जिस दिन हम स्वयं को इस मनोवृत्ति से अलग कर लेंगे हम अंधविश्वास से दूर हो जायेंगे।

शोधार्थी – क्या मनोवैज्ञानिक तरीके से हम इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर – बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज से ख़त्म हो गयी इसके पीछे एक मात्र वजह जनजागरूकता थी और वैज्ञानिक सोच क्योंकि यह सोच आप को तर्क करने की क्षमता विकसित करती है आप हर चीज के पीछे के कारण को पहचानते हो और जब आप को कारण पता चल जाता है तो उसे समाप्त करना आसान हो जाता है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे कम होते हैं वहां बाबा और तांत्रिकों का बोल-बाला होता है ये लोग समाज में ऐसे लोगों की पहचान करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें आसानी से शिकार भी बना लेते हैं। इसलिए लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करके ही हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं।

मनोचिकित्सक और मनोविज्ञान के आचार्यों के साथ किये गए साक्षात्कार में यह अंतर था कि मनोचिकित्सक से अंधविश्वास पर प्रश्न किया गया था और मनोविज्ञान आचार्यों के साथ किये गए साक्षात्कार में अंधविश्वास और कुरीतियों दोनों पर बात की गयी है पूरे साक्षात्कार के दौरान शोधार्थी ने यह पाया की मनोविज्ञान के आचार्यों का यह मानना है कि समस्त अंधविश्वास संतुष्टि पर आधारित है कुरीतियों का प्रचलन इसलिए है कि लोग ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ लम्बे समय से इनका अनुपालन किया जा रहा था लगभग सभी का यह मानना है की अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ जन जागरूकता से ही समाप्त होगी।

3. व्यष्टि अध्ययन (विधि विभाग के शिक्षकों से साक्षात्कार)

शोधार्थी – समाज से कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास को कैसे समाप्त किया जा सकता है?

उत्तर – इस प्रश्न पर एक आम राय रही कि विधि निर्माण के माध्यम से ही इसे समाप्त किया जा सकता है कुछ का यह भी कहना है कि विधियाँ बनना ही पर्याप्त नहीं है उसे सही तरीके से लागू किये जाने से ही हम इस इन बुराइयों से बच सकते हैं।

शोधार्थी – क्या विधि इन कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने में कारगर साबित होंगी?

उत्तर – इस प्रश्न के उत्तर में बहुमत का यह मानना था की प्राचीन काल में अनेक कुरीतियाँ थी जिसे विधि बना कर ही समाप्त किया गया उदाहरण के रूप में सती प्रथा, बाल विवाह, आदि का नाम लिया गया।

शोधार्थी – भारतीय न्यायपालिका कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करने में कितना कारगर साबित हो रही है?

उत्तर – इस प्रश्न पर बात करते हुए विधि के आचार्यों ने अनेक वादों का जिक्र कर कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के मामले में न्यायपालिका के महत्त्व को उजागर किया और बताया कि किस प्रकार से कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा रहा है इन मामलों में प्रमुख था सबरीमाला मामला इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। जो एक प्रकार की कुरीति से संबंधित था।

शोधार्थी – क्या लोगों में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विधिक संस्थानों का सहयोग मिल सकता है?

उत्तर – बिल्कुल, आज हमारे देश में लगभग सभी विधि संस्थानों में विधिक सहायता केंद्र की स्थापना की जाती है जहाँ पर गरीब और बेसहारा लोगों को विधिक सहायता प्रदान किया जाता है और समय समय पर इन संस्थानों द्वारा विधिक सहायता कैम्प लगाये जाते हैं जो विभन्न स्थानों पर जाकर विधिक साक्षरता प्रदान करते हैं ऐसे में यदि इन संस्थानों को किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास और कुरीति दिखाई पड़ती है तो वे इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के निवासियों से बात कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं।

उपरोक्त साक्षात्कार द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है कि विधि एवं न्यायपालिका निश्चित रूप से कुरीतियों एवं अंधविश्वास को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं विद्वान आचार्यों को भारत में इस मुद्दे पर एक मजबूत एवं कारगर केन्द्रीय कानून नहीं होने का खेद है।

4. व्यष्टि अध्ययन (आशा कार्य कर्ताओं से साक्षात्कार)

शोधार्थी ने इस कार्य हेतु जनपद जौनपुर के मुंगर बादशाहपुर प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र का चयन किया प्राप्त जानकरी के अनुसार इस स्थान पर मुंगर बादशाहपुर ब्लाक से जुड़े लगभग सभी गावों की

आशा कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता है शोधार्थी ने भी उसी विशेष दिन का चयन किया जब उनका आना बहुतायत संख्या में होता है और इस प्रकार समूह में तथा व्यक्तिगत रूप से लगभग 30 आशा कार्यकर्ताओं और उन्हें निर्देशित करने वाले अधिकारी से मुलाकात की और अपने शोध विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की, प्राप्त जानकारी का सार यह है कि आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से हम सब ने घर-घर जाकर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर बात करनी शुरू कि है बहुत सी बिमारियों और कुरीतियों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है प्रसव के पूर्व और प्रसव पश्चात उनके द्वारा की गयी सहायता से मातृ मृत्यु दर में कमी आयी है और समय समय पर हम लोगों को अंधविश्वास में न पड़ने की सलाह भी देती हैं जिससे ग्रामीण महिलाएं झाड़-फूक में न पड़कर चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ ले रही हैं।

5. व्यष्टि अध्ययन (तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े स्थानों का अवलोकन और तांत्रिक क्रियाओं में लगे लोगों से साक्षात्कार)

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए जनपद जौनपुर और जौनपुर से बहार अनेक स्थानों पर भ्रमण किया जहाँ पर इस प्रकार की समस्या से प्रभावित पीड़ितो का आना-जाना लगा रहता है। शोधार्थी ने इन स्थानों के अवलोकन से पूर्व ही चिकित्सकों से मिलकर उनका साक्षात्कार लिया था और चिकित्सकों द्वारा उसे बताया गया था कि भूत-प्रेत पिशाच आदि का दावा करने वाली महिला कई प्रकार की बिमारियों से ग्रसित होती हैं जिनमें वे चीखती हैं चिल्लाती हैं, बीच-बीच में बेहोस हो जाती हैं, आवाज बदल-बदल कर बातें करती हैं जैसे महिला है तो पुरुष के रूप में स्वयं को व्यक्त करेगी या किसी अन्य महिला के रूप में, यानि वह स्वयं को भूत-प्रेत के रूप में प्रस्तुत करती है, कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं जैसे बार-बार बेहोश हो जाना, हाथ-पैर का नहीं चलना, आवाज का नहीं निकलना इन समस्त लक्षणों को महिलाओं में देखने को पाया और बाद में भी कुछ चिकित्सकों और मनोविज्ञान के प्रोफेसरों ने भी उन्ही लक्षणों का जिक्र किया जिनको शोधार्थी में स्वयं अवलोकन किया था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि भूत-प्रेत जैसा कुछ नहीं होता बल्कि यह मानसिक रोग है।

शोधार्थी ने तांत्रिक क्रियाओं में लगे लोगों से भी साक्षात्कार लिया जिसमें कुछ लोगों के पास वह स्वयं को पीड़ित बता कर उपस्थित हुआ। इस दौरान शोधार्थी ने पाया कि अनेक तांत्रिकों ने शोधार्थी को कुछ पैसों के बदले में अपनी सिद्धि के द्वारा नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया, एक तांत्रिक ने उत्तर प्रदेश में न्यायिक विभाग में उस पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया जिसमें शोधार्थी के अवसर ही समाप्त हो गए हैं और यह भी बताया की आप को नौकरी न मिलने का प्रमुख कारण यह है कि आप के ऊपर कोई शैतानी साया है।

शोधार्थी द्वारा कुछ तांत्रिकों से जब स्वयं इस संबंध में बात की गयी तो पता चला कि उनके पास आने वाली आधे से ज्यादा महिलायें परिवार की विशेष सहानुभूति, ध्यान और संरक्षण प्राप्त करने के

लिए ऐसा करती हैं ताकि लोग उसकी कही हुई बात को माने और उन्हें परिवार में विशेष स्थान और तवज्जो दें। उन्होंने बताया ऐसे लोगों को हम देखते ही समझ जाते हैं और उन्हें डाटने और थप्पड़ मरने मात्र से ही ठीक कर देते हैं और दुबारा वो कभी हमारे पास नहीं आती किन्तु हमें अपना भी रोजगार चलाना होता है इसलिए परिवार वालों को भूत-प्रेत का साया बताते हैं।

उक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि ये लोग अपनी वाक्य पटुता से किसी को भी आसानी से अपने झांसे में ले सकते हैं और उनका शोषण करते हैं जैसा की शोधार्थी ने स्वयं अपनी आँखों के सामने इन तत्रिकों से मिलने आई महिलाओं के साथ होते देखा शोधार्थी ने देखा कि विभिन्न प्रकार की मानसिक बिमारियों से पीड़ित महिलाएं इनके पास आती है बाबा या तांत्रिक उनसे पैसे लेता है, कभी उनके बाल पकड़ता है तो कभी अनैतिक तरीके से उन्हें छूने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य यह है कि इनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होता।

6. व्यष्टि अध्ययन (ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों से साक्षात्कार)

शोधार्थी ने अपने शोध क्षेत्र जौनपुर के लगभग 20 ग्रामों के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों से बात की तथा वर्तमान समय में विद्यमान कुरीतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ग्राम प्रधानों से बात के दौरान शोधार्थी ने पाया कि महिला ग्राम प्रधानों का कार्य उनके पति ही करते हैं वे ध्वजमात्रक हैं ग्राम गोवर्धनपुर के प्रधानपति बहुत देर तक अपनी प्रधान पत्नी से बात ही नहीं करने दिए। इस तरह एक बात तो साफ हो जाती है कि समाज में पुरुषवादी मानसिकता विद्यमान है।

कुरीतियों अंधविश्वासों के सन्दर्भ में जब ग्राम प्रधानों से बात की गयी तो उन्होंने बहुत सी कुरीतियों के बारे में बताया किन्तु वर्तमान में किसी भी कुरीति के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनके गाँव में अब जादू-टोना तंत्र-मंत्र से उपचार करने वाले नहीं हैं। सरायखानी, देवापुर, शांति नगर जैसे गाँवों में शोधार्थी स्वयं तांत्रिक से मिल कर आया था किन्तु ग्राम प्रधान ने यह बात नहीं स्वीकार की इससे यह बात सिद्ध होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब भी अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ विद्यमान हैं किन्तु ग्राम प्रधान गाँव के सम्मान की वजह से इसे स्वीकार नहीं करते हैं।

ग्रामीणों में विशेष रूप से महिलाओं से बात चीत की गयी जिसमें उन्होंने विशेषकर कुरीतियों पर खुलकर बात की तथा बताया कि उनके गाँव में बांझपन की बीमारी से पीड़ित महिलाओं, विधवाओं, सफ़ेद दाग से प्रभावित महिलाओं से अभी भी भेदभाव किया जाता है, रजस्वला स्त्री को धार्मिक कार्यों से वर्जित किया जाता है, दहेज़ प्रथा अपने चरम पर है, पर्दा प्रथा अब भी जारी है शोधार्थी ने स्वयं ग्रामीण महिलाओं को पर्दे में देखा, इद्दत पालन, तीन तलाक, मांगलिक कन्या के विवाह पूर्व औपचारिकताएं, डायन प्रथा या टोनही प्रथा, कन्या के जन्म पर हर्ष नहीं होना, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा, विवाह चिन्ह पहनने की प्रथा, अपना नाम एवं पहचान छोड़ देने का रिवाज, हलाला, लैंगिक अपराध की शिकार

महिला से भेदभाव, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह न किये जाने की प्रथा आज भी समाज में विद्यमान है।

ग्राम पंचायत का विवरण

भानपुर	इटहरा
मोलनापुर	उचौरा
गोबर्धनपुर	सिंघौली
रामनगर	भटेवरा
चंदौकी	सरायकशी
फत्तूपुर कला	छंगापुर
करियांव मीरगंज	परसनी
सुजानगंज	नौवाडाड़ी
सरायखानी	बनवीरपुर
फत्तूपुर कला	रायपुर

7. **व्यष्टि अध्ययन (सामान्य महिलाओं से कुरीतियों एवं अंधविश्वास के विषय पर साक्षात्कार)**

प्रश्न 1. अंधविश्वास किसे कहते हैं?

दीक्षा चौहान – जैसा की नाम से ही पता चलता है ऐसा विश्वास जो कि अंधा हो जिसे बिना तर्क के ही विश्वास किया जाता है वह विश्वास अन्धविश्वास कहलाता है।

आकांक्षा – किसी बात पर बिना किसी प्रकार का विचार किये बिना विश्वास करना अंधविश्वास है। जैसे भगवान पर ही बहुत ज्यादा विश्वास करना बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना और उनपर ही निर्भर रहना कि वही हमारा सब कुछ देखेंगे वही हमारा सुख दुःख देखेंगे यह अंधविश्वास है।

कनुप्रिया – विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे हम सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं और अंधविश्वास एक विश्वास की ऐसी पराकाष्ठा है जिसका हमेसा नकारात्मक प्रभाव रहता है तो मेरे हिसाब से अंधविश्वास वह चीज है जो हमेसा नकारात्मक प्रभाव ही डालता है।

वैशाली सरोज – अंधविश्वास सभी के लिए अलग प्रकार से होता है कुछ लोग पूजा पाठ में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनका मानना होता है कि मैंने सुबह पूजा नहीं की इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गयी इससे अनहोनी हुई है। यह एक प्रकार के ब्रेन वास जैसा होता है।

ऋशा – मुझे लगता है अंधविश्वास एक प्रकार का डर होता है अब हमारे बड़े बुजुर्ग बता दिए हैं कि यह ऐसा है ऐसा करिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा तो वह हमारे मन में डर बन गया है तो उसको हमको ना चाह कर भी मानना पड़ता है क्योंकि वहाँ परिवार की बात आ जाती है थोड़ा भावुकता आ जाती है तो फिर डर की वजह से मानना पड़ता है।

प्रश्न 2. आप के अनुसार कुरीति क्या है? क्या आप के गाँव में कोई कुरीति विद्यमान है?

दीक्षा चौहान – ऐसी रीतियाँ जिनका लोगों पर गलत प्रभाव पड़े और जिनका लोगों पर कोई सकरात्मक प्रभाव न पड़ता हो उसे कुरीति कहते हैं। आज भी हमारे समाज में महिलायें अपने पति के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती ऐसा करना अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है यद्यपि कुछ अभिजात्य वर्ग में इसे अच्छा जरूर माना जाता है किन्तु अभी भी निम्न वर्ग में यह अच्छा नहीं समझा जाता है।

आकांक्षा – हाँ मेरी दादी अक्सर इन मुद्दों पर मुझसे बातें करती हैं वो किसी महिला पर दैवीय प्रकोप के संबंध में बाते करती हैं और भूत-प्रेत की ऐसी अनेक कहानियां बताती है वो कहती हैं जब उस महिला पर माता आती हैं तो सब को उसके पास जाना चाहिए उन्हें लगता था मुझे भी जाना चाहिए था पर मै इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती पर मेरी दादी मानती ही नहीं कि भूत-प्रेत नहीं होता मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर औरतों को इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि कभी-कभी वो इस कारण बाबाओं और अन्य लोगों के शोषण का शिकार भी होती हैं।

कनुप्रिया – देखिये मुझे अच्छी तरह से इसकी परिभाषा नहीं पता है पर मेरे विचार से रीति वह है जो सकारात्मक है जबकि कुरीति रीति का नकारात्मक पक्ष है मेरे हिसाब से ऐसी रीति जो किसी न किसी माध्यम से नुकसान पहुँचाती हैं जैसे महिलाओं को माहवारी के समय कुछ कार्य करने से रोक दिया जाता है यही कुरीति है।

वैशाली सरोज – ऐसी रीतियाँ जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कुरीति है। हाँ बहुत सी कुरीतियां मेरे गाँव में है मै इसे एक उदहारण के माध्यम से समझाना चाहूँगा जैसे वैवाहिक कार्यक्रम में हमें अनेक कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं जैसे विधवा के साथ भेदभाव उसे किसी भी शुभ कार्य में आगे आने नहीं दिया जाता यदि किसी महिला को पहला बच्चा लड़की हुआ है तो वह दुल्हन का स्वागत नहीं कर सकती, दुल्हन के आते ही गोंद में लड़का दिया जाता है न कि लड़की इसमें उनकी मान्यता है कि नव वधू को भी पहले लड़का ही हो, यह सब कुरीति है।

प्रश्न 3. क्या आप कभी किसी अंधविश्वास की शिकार हुई हैं? क्या आप के परिवार में भूत-प्रेत तंत्र-मन्त्र की चर्चा होती है?

दीक्षा चौहान – मै स्वयं तो किसी अंधविश्वास का शिकार नहीं हुई हूँ हां पर मेरे सामने ऐसी कई घटनाएं जरूर हुई हैं जिनका संबंध अंधविश्वास से है जैसे कि हमारे यहाँ जब किसी भी लड़की की शादी होती है और वह अपने ससुराल पहली बार आती है तो उसे अकाल मृत्यु की शिकार महिलाओं के भूत (डायन अथवा चुड़ैल) के साये से बचाने के लिए तरह-तरह के अनुष्ठान किये जाते हैं और उनके हाथों में धागा बाँधा जाता है जो कि मेरे हिसाब से अंधविश्वास है।

आकांक्षा – नहीं मुझे लगता है मै इससे प्रभावित नहीं रही हूँ मुझे खुद पर भरोसा है मै किसी बाबा वगैरा पर भरोसा नहीं करती हूँ।

कनुप्रिया – अगर मै अपने घर में देखूं तो मेरे घर में उतना नहीं है पर कुछ छोटी-छोटी चीजें होती हैं जैसे बाल का धोना, बालों को धोने के लिए एक दिन तैयार कर दिए गए हैं जिसका कोई तार्किक कारण नहीं है कि हमें शुक्रवार में, सोमवार में, रविवार में इन्ही दिनों में बाल धोना है या नाखून कटना है पर कोई तर्क नहीं है हमारे पास की क्यों इसी ही दिन ऐसा करना है अन्य दिन नहीं, मुझे यह अंधविश्वास लगता है।

वैशाली सरोज – जी मेरे यहाँ जौनपुर में मैं देखती हूँ कि यदि कोई बीमार है तो लोग इलाज से ज्यादा झाड़-फ़ूक पर विश्वास करते हैं मैंने यहाँ तक भी देखा है कि यदि कोई पढ़ नहीं रहा है तो लोग उसके ऊपर से भूत-प्रेत हटाने के लिए ओझा वैद इत्यादि को बुलाते हैं मेरे एक संबंधी हैं उनको कैंसर की बीमारी थी यदि सही समय पर इलाज कराया जाता तो वह ठीक हो सकती थी किन्तु झाड़-फूक में ही उनकी सास ने समय बर्बाद कर दिया मैंने खुद देखा है प्रयागराज के कमला नेहरू हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भी उनका झाड़-फूंक जारी था।

ऋशा – हां कहीं जा रहे हों और बिल्ली रास्ता काट दी तो लोग मानते हैं अपशकुन होता है तो मन में बन गया तो ऐसा मानते हैं और बच्चे छोटे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मत दिखाओ नजर लग जाएगी तो इसे हम भी मानते हैं।

प्रश्न 4. – क्या आप भी किसी प्रकार का ताबीज या धागा बांधती जिसमें आप की मान्यता है कि वह आप को किसी भी प्रकार के जादू टोन से सुरक्षा प्रदान करेगा?

दीक्षा चौहान – नहीं मैं स्वयं तो ऐसे किसी प्रकार के ताबीज या धागे का प्रयोग नहीं करती हूँ किन्तु कुछ लोग जो ऐसे धागे बाँधते हैं उनकी मान्यता है कि उन्हें इससे जादू टोने से सुरक्षा प्राप्त होती है।

कनुप्रिया – नहीं

आकांक्षा – नहीं पहनती।

वैशाली सरोज – जी बाँधते हैं, मेरी माता जी ने पहनने को कहा इसलिए पहनती हूँ, हाँ यह सही है कि इस पर मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं किया इसमें उनका विश्वास था तो मैंने उनसे इसके बारें में प्रश्न नहीं किया यद्यपि कि मुझे करना चाहिए था पर ऐसा मैंने उनकी ख़ुशी के लिए किया ऐसा ही कुछ कार्य और भी मैं करती हूँ जैसे यदि तबियत ख़राब होती है तो ऐसे में मेरी दादी मुझे नज़र झड़वाने की सलाह देती हैं ऐसा मैं उनके सम्मान और विश्वास के लिए करती हूँ पर मैं खुद नहीं मानती की ऐसा करने से बीमारी ठीक होती है।

प्रश्न 5. क्या विधवाओं से किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है?

दीक्षा चौहान – हाँ जी बिल्कुल कोई भी विधवा स्त्री किसी वैवाहिक कार्यक्रम में अगुवाई नहीं कर पाती है यहाँ तक कि उनके कपड़े तक अलग कर दिए जाते हैं उन्हें पूरी तरीके से अपशकुन का प्रतीक माना जाता है यहाँ तक कि किसी भी नई नवेली वधू की स्वयं की सास भी यदि विधवा है तो इस दौरान के मांगलिक कार्यों जैसे गृह प्रवेश अंगूठी की रश्म इत्यादि में आगे नहीं आती है।

वैशाली सरोज – जी, दुल्हन के गाड़ी से उतरते समय कोई विधवा सामने नहीं आ सकती, हमारे यहाँ विवाह में एक मंत्रि पूजा होती है जिसे शिलमायन भी कहते हैं यह कार्य विधवा नहीं कर सकती, पाँव पूजन की भी एक विधि होती है उसमें भी विधवा पाँव पूजन नहीं कर सकती यहाँ तक कि यदि हम बाहर जा रहे हों तो यह कहा जाता है कि कोई विधवा आगे न आये यह सब कुरीति ही तो है यहाँ ध्यान देने योग्य है कि विधुर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता वह क्यों अपशकुन नहीं होता, महिलायें ही क्यों अपशकुन होती हैं मेरे हिसाब से इसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है यदि किसी के पति का देहांत होता है तो उसमें उसका क्या दोष और उसके पहनावे पर भी प्रतिबन्ध होता है वह सफेद साड़ी ही पहनेगी।

कनुप्रिया – हाँ

आकांक्षा – जी सर हमरे यहाँ जौनपुर में यह देखने को मिलता है

ऋशा – जी बिल्कुल विधवाओं के साथ भेदभाव होता है।

इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर का विश्लेषण करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है कुरीतियाँ समाप्त हो रही हैं किन्तु अभी भी अंधविश्वास बना हुआ है शिक्षा और जागरूकता जिस तरह से बढ़ रही है यदि यह निरंतर जारी रहा तो शीघ्र ही हम इस समस्या से निजात पा लेंगे।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों से मांगी गयी सूचना

तालिका 6.5 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न विभागों से मांगी गयी सूचना

विभाग और पंजीकरण संख्या	मांगी गयी सूचना का विवरण	प्राप्त सूचना का विवरण
1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो[14] NCRB पंजीकरण संख्या – NCREB/R/E24/00015	महोदय, कृपया आवेदक को जनवरी 2018 से दिसम्बर 2023 तक महिलाओं के विरुद्ध अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं से संबंधित दर्ज प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें, जो मुख्यतः निम्नलिखित कृत्यों से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ टोनही अत्याचार अधिनियम 2005 असम डायन अत्याचार (निषेध, रोकथाम	आपके द्वारा चाही गई जानकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नही है।

[14] परिशिष्ट 2 पृष्ट iii, iv

	और संरक्षण) अधिनियम, 2015 राजस्थान डायन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2015 जादू टोना निषेध अधिनियम, 2001 (बिहार और झारखंड)	
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग[15] पंजीकरण संख्या – NHRCM/R/E/24/00018	कृपया आवेदक को जनवरी 2018 से 10 दिसम्बर 2023 तक महिलाओं के प्रति अंधविश्वास एवं कुरीतियों से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं उन शिकायतों पर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।	आप को सूचित किया जाता है कि आयोग की शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) में ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी गई है।
3. राष्ट्रीय महिला आयोग[16] पंजीकरण संख्या – NCFWO/R/E/24/00007	कृपया जनवरी 2018 से दिसम्बर 2023 तक महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों के संबंध में राज्य स्तर पर विवरण सहित निम्न- जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विशेष रूप से - अंधविश्वास, काला जादू, तंत्र-मंत्र, नरबलि से संबंधित शिकायतों का विवरण जबरन देवदासी प्रथा के उदाहरण, बाल विवाह के मामले, डायन-शिकार जैसी प्रथाएँ, या कोई अन्य संबंधित मुद्दे।	आपके द्वारा चाही गई जानकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नही है।
4. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश[17] पंजीकरण संख्या – DPTMH/R/2024/60050	महोदय/महोदया कृपया मुझे निम्न जानकारी प्रदान करें जो व्यक्ति भूत-प्रेत, आत्मा या अन्य अलौकिक शक्तियों से ग्रस्त होने का दावा करता है उसे किस रोग से पीड़ित माना जाता है?	Email-Id: director.medical.care.up@gmail.com पर सम्पर्क करने की सलाह दी गयी जहाँ से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
5. चिकित्सा शिक्षा विभाग पंजीकरण संख्या – DPMED/R/20	जो व्यक्ति यह दावा करता है कि उस पर भूत-प्रेत, या अन्य अलौकिक सत्ताएं हैं, उसे किस रोग से पीड़ित माना जाता है?	Email-Id: director.medical.care.up@gmail.com पर सम्पर्क करने की

[15] परिशिष्ट 2 पृष्ट v, vi

[16] परिशिष्ट 2 पृष्ट vii,

[17] परिशिष्ट 2 पृष्ट viii

24/60009		सलाह दी गयी जहाँ से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
6. महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश[18] पंजीकरण संख्या – WWCDN/R/2024/60004	मुझे जनवरी 2018 से दिसंबर 2023 तक पिछले 5 वर्षों में भूत-प्रेत, डायन आदि कहकर प्रताड़ित की गई महिलाओं के पुनर्वास और कल्याण के लिए किए गए कार्यों का वर्षवार विवरण प्रदान करने की कृपा करें।	और अधिक जानकरी प्रदान किये जाने को कहा गया जबकि अपेक्षित विवरण दे दिया गया था।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कुरीतियों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जनपद जौनपुर के थानों से मांगी गयी सूचना

माह जनवरी 2018 से दिसम्बर 2023 तक जादू-टोना, तंत्र-मन्त्र, भूत-प्रेत, मानव बलि इत्यादि के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना का विवरण –

जनपद जौनपुर के थानों से मांगी गयी सूचना पर प्राप्त आख्या और थानों का विवरण

थाने का नाम	**प्राप्त आख्या**	**थाने का नाम**	**प्राप्त आख्या**
लाइन बाजार	शून्य	जाफराबाद	शून्य
बरसठी	शून्य	रामपुर	शून्य
नेवढिया	शून्य	बदलापुर	शून्य
माडियाहूँ	शून्य	सिंगरामऊ	शून्य
सुरेरी	शून्य	महराजगंज	शून्य
सुजानगंज	शून्य	मुंगरा बादशाहपुर	शून्य
केराकत	शून्य	पवारा	शून्य
मछलीशहर	शून्य	मीरगंज	शून्य
खुटहन	शून्य	शाहगंज	शून्य
खेतासराय	शून्य	थाना कोतवाली जौनपुर	शून्य
सरपतहां	शून्य	सरायख्वाजा	शून्य
बक्श	शून्य	तेजी बाजार	शून्य
सिकरारा	शून्य		

[18] परिशिष्ट 2 पृष्ट ix

शोधार्थी द्वारा जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जनपद के सभी थानों में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच वर्षवार, महिलाओं के विरुद्ध अंधविश्वास एवं कुरीतियों से जुड़े मामलों जैसे जादू-टोना तंत्र-मन्त्र भूत-प्रेत मानव बलि इत्यादि के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में सूचना मांगी गयी किन्तु प्राप्त सूचना के आधार यह जानकारी प्राप्त हुई कि किसी भी थाने में इस तरह का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है जबकि समाचर पत्रों इत्यादि से प्राप्त जानकारी इतर है।

जौनपुर जिले के लगभग सभी थानों से प्राप्त सूचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछले पाँच वर्षों में अंधविश्वास एवं कुरीतियों से संबंधित कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है जिससे दो बातें सबित होती हैं पहली यह कि यहाँ पर कुरीतियों एवं अंधविश्वास से संबंधित कोई भी अपराध घटित नहीं होता और दूसरा यह कि यह भी हो सकता है कि लोक लाज बस इस संबंध में कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज ही नहीं किया हो।

पहली बात को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि भारत में प्राथमिकी दर्ज किये जाने संबंधित कठिईयों के बारे में हम भलीभांति परिचित हैं यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज किये जाते समय न जाने कितने प्रकार के असम्यक् असर काम करते हैं और न तो भारतीय संसद द्वारा और न ही उत्तर प्रदेश की विधान मंडल द्वारा कुरीतियों एवं अंधविश्वास को रोकने हेतु विशेष कानून बनाया गया है जिसके तहत मामला दर्ज किया जाए और जो कानून हैं भी उसमें स्पष्टता का अभाव है। इसलिए सिर्फ प्राथमिकी न दर्ज किया जाना इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि जौनपुर में कुरीतियों एवं अंधविश्वास से संबंधित कोई भी अपराध घटित नहीं होता।

इस संबंध में जहाँ तक दूसरी बात है प्रायः हम देखते हैं कि कहने को हम पढ़े लिखे होते हैं किन्तु व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि हम तमाम प्रकार की कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के जाल से जकड़े होते हैं किन्तु फिर भी हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में यदि हमारे साथ कुरीतियों एवं अंधविश्वास से संबंधित कोई अनहोनी या अपराध हो जाता है तब हम लोकलाज बस कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराते हैं यही कारण है की थानों में इस संबंध में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है।

सप्तम अध्याय:निष्कर्ष एवं सुझाव

अपने शोध अध्ययन के प्रारम्भ में शोधार्थी को ऐसा लगता था कि भारत में प्राचीन समय से चली आ रही कुरीतियों में से अनेकों कुरीतियाँ आगे भी जारी हैं और जल्द समाप्त नहीं होने वाली हैं किन्तु दस्तावेजी और अनुभव जन्य व्यवहारिक अध्ययन ने मेरे इस परिकल्पना को तोड़ दिया और जो बात निकल कर सामने आयी वह यह है कि दहेज़ प्रथा, अंतरजातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों पर रोक जैसी कुछ-एक कुरीतियों को यदि छोड़ दिया जाए तो अब भारत से वह सभी कुरीतियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं जो किसी न किसी माध्यम से महिलाओं का अत्यधिक शोषण और उनका अपमान करती थी, यदि कुरीतियों के अंत होने की गति निरंतर ऐसे ही चलती रही तो शीघ्र ही भारत से अनेक बुराईयों का अंत हो जायेगा।

हमारे देश में जागरूकता और साक्षरता निरंतर बढ़ रही है किन्तु फिर भी देश से अंधविश्वास ख़त्म नहीं हो रहा है आनुभविक शोध के दौरान शोधार्थी अपने शोध क्षेत्र में विभिन्न तहसीलों में भ्रमण किया और साथ ही उन स्थानों का भी भ्रमण किया जहाँ पर जौनपुर जिले के लोग तांत्रिक क्रियांओं को कराने के लिए जिले से बहार जाते हैं और पाया कि लोग 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में भी जादू-टोना तंत्र-मंत्र पर विश्वास करते हैं।

हमारे समाज में लम्बे समय से अनेक प्रकार की कुरीतियाँ और अंधविश्वास इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इन्हें धार्मिक रूप से वैधता प्राप्त है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और जब साहित्य में ही कुरीतियों और अंधविश्वास को पोषित किया गया हो तो इससे पता चलता है की इन कुरीतियों और अंधविश्वासों का समाज में अस्तित्व है। दस्तावेशी शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने पाया की भारत में पुरुषवादी मानसिकता को नैतिक बल हमारे कथित धार्मिक साहित्य प्रदान करते हैं। धर्म में हमारी इतनी आस्था है कि यदि कोई भी बात उनसे जुड़ी पुस्तकों में लिखी गयी है तो, आस्था पर चोट न पहुंचे इस डर से हम ऐसे साहित्य का विरोध नहीं करते और ये साहित्य समाज को महिलाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए धार्मिक रूप से नैतिक बल प्रदान करते हैं जिसकी वजह से कुरीति एवं अंधविश्वास हमारे समाज से खत्म नहीं हो पा रहे हैं।

भारत में आरंभिक समय में चिकित्सा व्यवस्था उच्च कोटि की नहीं थी साथ ही देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी और भुखमरी की शिकार थी तब झाड़-फूँक करने वालों का बोल-बाला था किन्तु समय के साथ न सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ बल्कि लोगों में जागरूकता भी आयी किन्तु गरीबी अभी भी बनी है जिसकी वजह से समाज में अभी भी झाड़-फूँक करने वालों का अस्तित्व बना हुआ है।

भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारतीयों की प्रेरणा से अंग्रेजो द्वारा कुरीतियों और अंधविश्वास के विरुद्ध विधिक अथवा न्यायिक प्रावधानों द्वारा इनके निर्मूलन की जो लड़ाई प्रारम्भ की गयी थी वह आज भी जारी है किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में एक सशक्त एवं कठोर केन्द्रीय कानून की कमी है। चूँकि भारत के प्रतेक राज्य में इन बुराइयों के विरुद्ध कानून का आभाव है जबकि इस प्रकार की बुराईयाँ लगभग सभी राज्यों में व्याप्त हैं तो ऐसे में एक केन्द्रीय कानून की कमी हमेशा से ही देखने को मिली है यद्यपि की इस प्रकार के कानून के निर्माण हेतु प्रयास भारतीय संसद द्वारा लम्बे समय से होता रहा है और वर्ष 2016 में इस आशय का विधेयक भी लाया गया किन्तु कुछ वर्ग विशेष के तुष्टिकरण और मजबूत इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह विधेयक पास नहीं हुआ जिसका परिणाम यह हुआ है की जिन राज्यों में इस प्रकार के कानून का आभाव हैं वहां पर महिलाओं का शोषण आज भी जारी है। आशा है कि भारतीय संसद शीघ्र ही इस कमी की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करेगी और भारत में अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध एक मजबूत और कठोर कानून का निर्माण करेगी जिससे सम्पूर्ण भारतवर्ष में न

सिर्फ कानून की एकरूपता स्थापित होगी बल्कि सभी राज्यों की महिलाओं को अंधविश्वास और कुरीतियों के माध्यम से हो रही प्रताड़ना और शोषण से मुक्ति मिलेगी।

सुझाव

- समाज से कुरीतियों एवं अंधविश्वास को खत्म करने के लिए शिक्षा एवं जागरूकता मात्र ही अब पर्याप्त नहीं हैं इसके लिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी के हृदय में जानने की इच्छा को जागृत करना होगा तभी वह सही गलत में फर्क कर सकेंगे।
- बहुत सी कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास हमारे समाज में केवल इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि उनका अनुपालन हम अपने बुज़ुर्गों के सम्मान में करते चले आ रहे हैं। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा कोई आदर्श निश्चित न करें जो नैतिक और विधिक दोनों ही रूप से गलत हो और सिर्फ हमारे सम्मान की खातिर हमारी आने वाली पीढ़ी उसका अनुपालन करे।
- परम्परा और संस्कृति की रक्षा में हम इतने भी अंधे न बने की सही गलत का फर्क करने में हमारा मस्तिष्क पंगु बन जाए। हमें इससे आगे उठकर सोचना होगा और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य खुद तय करना होगा।
- धर्मान्धता निश्चित रूप से हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रही है ऐसे में हमें इससे ऊपर उठ कर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित करना होगा।
- भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना होगा जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हैं भले ही उनका आदि स्रोत हमारे धार्मिक साहित्य हों।
- संविधान की मंशा के अनुरूप ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना होगा।
- देश की संसद को शीघ्र ही कुरीतियों एवं अंधविश्वास के विरुद्ध कठोर कानून का निर्माण करना होगा।
- सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को योजना बद्ध तरीके से कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के उन्मूलन हेतु अभियान चलाना होगा।
- समाज की छोटी इकाई परिवार से ही लिंग भेद को समाप्त करने का प्रयास करना होगा।
    - पारंपरिक और सांस्कृतिक धारणाओं में बदलाव लाने के लिए सुधारवादी और धार्मिक संगठनों दोनों को ही साथ मिलकर कार्य करना होगा और पारंपरिक और रूढ़िवादी विचारों में बदलाव लाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्चाओं का आयोजन करना होगा;

- राज्य के प्रत्येक जिले में एक कार्यबल (टास्क फ़ोर्स) गठित करना होगा जिसमें मनोचिकित्सकों की एक टीम भी होगी जिसके माध्यम से भूत-प्रेत और दैवीय प्रकोप का दावा करने वाले व्यक्तियों को त्वरित उपचार प्रदान कराया जा सकेगा तथा किसी भी भ्रामक बात को फैलने से रोका जा सकेगा;
- अलौकिक शक्तियों का दावा करने वाले पाखण्डी बाबाओं के चमत्कार से लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक कार्यबल (टास्क फ़ोर्स) गठित करना होगा;
- अलौकिक शक्तियों का दावा करने वाले पाखण्डी बाबाओं की संस्थाओं और संगठनों से पंजीकरण कराये जाने की अपेक्षा करने वाले नियम बनाने होंगें ताकि किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने पर उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित किया जा सके;
- जो व्यक्ति स्वयं में अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं जिनसे समाज की भलाई हो सकती हो उनके चमत्कार को मान्यता देने हेतु भारत के शंकराचार्यों अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, सुधारवादियों से मिल कर बनी समिति गठित की जानी चाहिए और उनसे चमत्कार किये जाने की अपेक्षा की जानी चाहिए, उक्त समिति के द्वारा ऐसे चमत्कार को मान्यता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही उनके द्वारा किये जाने वाले धार्मिक आयोजनों को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- शोधार्थी अपने सुझाव में निम्नलिखित अधिनियम के प्रारूप की अनुशंसा करता है –

विधेयक का प्रारूप

जैसा कि लोकसभा में पेश किया जाए
2024 का बिल नंबर XYZ

THE PREVENTION AND PROHIBITION OF SUPERSTITION AND HARMFUL PRACTICES BILL, 2024

अंधविश्वास और हानिकारक प्रथाओं का निवारण और निषेध विधेयक, 2024

खण्डों की व्यवस्था

खण्ड

व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को अंधविश्वास हानिकारक प्रथाओं से उनकी सुरक्षा करने के लिए
प्रभावी उपाय उपलब्ध कराना, ऐस अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करके उनकी
यातना, उत्पीड़न, अपमान, हत्या, यौन उत्पीड़न, कलंक,
भेदभाव, बहिष्कार को समाप्त करना, ऐसे अपराधों
के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना
और उनसे संबंधित या उनके
आनुषंगिक मामलों का
समाधान करना

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंधविश्वास और हानिकारक प्रथाओं का निवारण और निषेध अधिनियम, 2024 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "दुष्प्रेरक"[19] का अर्थ वही होगा जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 46 में उपबंधित है;

(ख) "समुचित सरकार"[20] का अर्थ है किसी राज्य के मामले में, उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केंद्र सरकार;

(ग) "संहिता" का अर्थ नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है;

(घ) "न्यायालय"[21] का अर्थ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है जो उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है जहाँ अपराध हुआ है या और प्रथम श्रेणी के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है।

(ङ) "पहचानकर्ता" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करता हो या अन्य व्यक्ति को उपदर्शित करने के लिए प्रेरित करता हो या अपने कार्य, शब्दों, भावभंगिमा या व्यवहार से उपदर्शित करने में मदद करता हो या जान-बूझकर ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुँचे अथवा क्षति पहुँचने की आशंका हो अथवा उसकी सुरक्षा एवं सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(च) "चमत्कार" का तात्पर्य ऐसे उपाय या उपचार से है जो किसी बीमारी, विकार, या स्वास्थ्य समस्या को जादुई या चमत्कारिक तरीके से ठीक करने का दावा करता है।

(छ) "चमत्कारिक उपचार"[22] के अंतर्गत है - ऐसा तलिस्मा, मन्त्र, कवच और किसी भी प्रकार का अन्य जादू-टोना, जिसमें मनुष्यों अथवा पशुओं के रोग के निदान, रोगमुक्ति, रोग में कमी करने या रोग की चिकित्सा या निवारण के लिए, या में, या मनुष्यों अथवा पशुओं के शरीर की संरचना या किसी आंगिक क्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने या उस पर असर डालने के लिए अद्भुत शक्तियां होना अभिकथित है;

(ज) "ओझा"[23] का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो दावा करता है कि उसके पास चुड़ैलों की पहचान करने और उन पर नियंत्रण पाने की क्षमता है या जो बुरी आत्माओं को ठीक करने या उनसे बचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए झाड़फूंक का उपयोग करता है, किसी बीमारी को ठीक करने के उद्देश्य से ताबीज, मंत्र या जादू-टोने से होने वाली पीड़ा को ठीक करने की शक्ति का दावा करने वाले किसी भी पदार्थ द्वारा पीड़ा या हानि पहुँचाना और इसमें गुनी, शेखा या जान या किसी अन्य नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति शामिल हैं;[24]

---

[19] डायन-ब्रांडिंग और डायन-शिकार और अन्य हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और निषेध विधेयक, 2022 की धारा 2(क)

[20] डायन-ब्रांडिंग और डायन-शिकार और अन्य हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और निषेध विधेयक, 2022 की धारा 2(ख)

[21] डायन-ब्रांडिंग और डायन-शिकार और अन्य हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और निषेध विधेयक, 2022 की धारा 2(ग)

[22] औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 धारा 2(ग)

[23] छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 धारा 2(3)

[24] राजस्थान डायन-शिकार निवारण अधिनियम, 2015 धारा 2(ग)

(झ) "पुलिस स्टेशन"[25] में पुलिस चौकियाँ शामिल हैं;

(ञ) "अंधविश्वास" बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के किसी भी बात को सत्य मानना अंधविश्वास कहलाता है;

स्पष्टीकरण - "चुड़ैल" के अंतर्गत डायन या दैनी, दैना, दकनी, डाकन, भूतनी, बूटुनी, दयान, टोनही, टोनहा, चेडेल, चूड़, शकन, शकनी, भूतड़ी, वंत्री, दैन, चुड़ैल, दहानी, चेतकिन आदि आते हैं।

(ट) "असम्यक रूढ़ि, कुप्रथा, अथवा कुरीति" से अभिप्राय ऐसी अनुचित रूढ़ि, कुप्रथा, अथवा कुरीति से जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते अर्थात उनके द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो;

(ठ) "पीड़ित"[26] से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसे नुकसान पहुँचाया गया है, घायल किया गया है, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, या क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार से उसे समाज से अलग किया गया है या अंधविश्वासों और कुरीतियों के परिणामस्वरूप मारा-पीटा गया है या मार डाला गया है;

(ड) "चुड़ैल" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जायें कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचायेगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है[27],

(ढ) "चुड़ैल-ब्रांडिंग और डायन शिकार"[28] का अर्थ है पहचानना, बुलाना, कलंकित करना। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी महिला को शब्दों, संकेतों या आचरण या कार्यों या प्रथाओं या किसी अन्य तरीके से बदनाम करना या डायन के रूप में आरोप लगाना, जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुँचाना या उकसाना या फांसी देना शामिल हो सकता है। सामूहिक उन्माद, शारीरिक, भावनात्मक, यौन, आर्थिक और संपत्ति संबंधी हिंसा, लिंचिंग या कोई अन्य गतिविधियाँ;

(ण) "जादू टोना"[29] का अर्थ है बुरे इरादे से अलौकिक या जादुई शक्ति का उपयोग करना, आत्मा को बुलाना या जादू करना या चोरी किए गए सामान का पता लगाना और इसमें ऐसी अन्य

[25] डायन-ब्रांडिंग और डायन-शिकार और अन्य हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और निषेध विधेयक, 2022 की धारा 2(ङ)

[26] असम डायन शिकार (निषेध, रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2015 धारा 2(च)

[27] छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 धारा 2(1)

[28] डायन-ब्रांडिंग और डायन-शिकार और अन्य हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और निषेध विधेयक, 2022 की धारा 2(ग)

[29] राजस्थान डायन-शिकार निवारण अधिनियम, 2015 धारा 2(ख)

समान प्रथाएँ शामिल हैं जिन्हें ''टोना-टोटका'', ''तंत्र-मंत्र'', ''झाड़फूंक'' या इसी तरह के अन्य रूप में जाना जाता है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिए गए हैं।

3. अंधविश्वास और हानिकारक प्रथाओं का निवारण और निषेध - कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में उल्लिखित या वर्णित कुरीतियों एवं अंधविश्वासों, मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और अघोरी प्रथाओं और काले जादू को नहीं करेगा या उसको बढ़ावा नहीं देगा या उसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा।

अध्याय 2
अपराधों के लिए दण्ड

4. मृत्यु कारित करने के लिए दण्ड - जो कोई स्वयं या अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति पर हमला करता है या हिंसक बल का प्रयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

5. हमला, अपराधिक बल, सम्पत्ति से बेदखल, प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के लिए दण्ड - जो कोई स्वयं या अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति पर हमला करता है या अपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसे उसकी सम्पत्ति से बेदखल करता है या उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुँचाता है अथवा पीड़िता यदि महिला है तो उसकी लज्जा भंग करता है, या उसका यौन शोषण करता है, वह दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

6. विज्ञापन, अभ्यास, प्रचार या संवर्धन इत्यादि के लिए दण्ड - इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और अघोरी प्रथाओं और काले जादू का कोई भी विज्ञापन, अभ्यास, प्रचार या संवर्धन करना इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराध का दोषी व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

7. दुष्प्रेरण के लिए दण्ड - जो कोई धारा 4 धारा 5 और धारा 6 के अधीन दण्डनीय किसी कार्य या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने वह अपराध किया है और दोषसिद्धि पर उसे धारा 4 धारा 5 और धारा 6 के अधीन ऐसे अपराधों के लिए समान दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

8. साक्ष्य मिटाने के लिए दण्ड - जो कोई जानबूझकर या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के तहत कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किसी भी साक्ष्य को अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से गायब कर देता है, या उस इरादे से जांच को गुमराह करता है या अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह गलत है, वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 और 238 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

9. अपराधों के प्रयत्न के लिए दण्ड - जो कोई इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को करने का प्रयास करता है और उस अपराध की दिशा में कोई कार्य करता है, वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड का पात्र होगा।

10. सामुदायिक भागीदारी के लिए दण्ड - यदि यह स्थापित हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों को करने में समुदाय की भागीदारी रही है, तो समुदाय के प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक लाख रुपये और अधिकतम पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जो व्यक्ति उक्त जुर्माना जमा करने में असफल रहेगा, उसे अदालत द्वारा विशेष आरोप तय किए जाने के अतिरिक्त एक वर्ष के कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

अध्याय 3
अपराधों का विचारण

11. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, - (1) इस अधिनियम के अनुसूची 2 के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे;

12. जुर्माना के व्यतिक्रम पर कारावास - कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या अन्यथा न्यायालय द्वारा आदेशित जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8(2) के तहत कारावास की सजा दी जाएगी।

13. पीड़ितों को प्रतिकर - (1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दंड के रूप में वसूला गया जुर्माना पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत भुगतान किया गया मुआवजा किसी अन्य मुआवजे या वित्तीय सहायता के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा, जिसे समुचित सरकार पीड़ित को तत्काल राहत के रूप में या धारा 19 के अंतर्गत देय पुनर्वास अनुदान के रूप में भुगतान करने का निर्णय ले।

14. अपील - दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन, पीड़ित व्यक्ति संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर अपील दायर करने के लिए पात्र होगा।

परन्तु न्यायालय उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

अध्याय 4
त्वरित न्याय के लिए कानूनी प्रक्रियाएँ

15. शीघ्र सुनवाई - (1) समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण साठ दिनों की अवधि के भीतर पूरा हो जाए।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपील का निपटारा अपील दायर करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर कर दिया जाए।

16. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति - (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन मामलों की सुनवाई के लिए सभी न्यायालयों में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी।

(2) विशेष लोक अभियोजक एक अधिवक्ता होगा, जो कम से कम सात वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो और अधिमानतः मानवाधिकार कार्य के लिए जाना जाता हो।

अध्याय 5
रोकथाम और सुरक्षा के उपाय

17. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य - (1) जब किसी पुलिस अधिकारी को सूचना या रिपोर्ट मिलती है कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के किए जाने की संभावना है या संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जा रहा है, अधिकारी तुरंत उस स्थान पर जाएगा और अपराध को रोकने और पीड़ित को बचाने के लिए सभी उपयुक्त और पर्याप्त उपाय करेगा।

(2) पुलिस प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तहत किसी पीड़ित या अपराध के संभावित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति को मान्यता प्राप्त सुरक्षात्मक या आश्रय गृह में भर्ती कराना भी शामिल है। यदि किसी व्यक्ति के पास आश्रय के लिए कोई जगह नहीं है या

किसी व्यक्ति द्वारा उस पर हमले का डर है तो सरकार या किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा पुलिस सुरक्षा प्रदान करने सहित, सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी पीड़ित या संभावित पीड़ित को नुकसान पहुंचाने वाले संदिग्ध या संभावित व्यक्ति और वस्तुओं को तुरंत हटा देगा या हटवा देगा और मौखिक या लिखित रूप से उस व्यक्ति या व्यक्तियों को चेतावनी देगा, जिन पर इस अधिनियम के तहत अपराध करने का इरादा या प्रयास करने का आरोप है कि वे तुरंत उस स्थान को छोड़ दें और पीड़ित या संभावित पीड़ित को कोई नुकसान न पहुंचाएं और यदि स्थिति की मांग हो, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को गिरफ्तार कर सकता है, जिसकी पहचान उकसाने वाले के रूप में की जा सकती है।

(4) जब भी अधिनियम के तहत किसी अपराध की सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है, तो संबंधित अधिकारी उसे दर्ज करेगा और संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार फोरेंसिक और अन्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(5) पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में सामाजिक कार्यों या स्वैच्छिक संगठन से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, जो कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

18. केन्द्र सरकार के कर्तव्य - केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी -

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग को निर्देश दें कि वह डिजिटल अभियानों और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुसूची 1 के अपराधों को समाप्त करने के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज तैयार करे।

(ख) इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी समिति की स्थापना करेगा, जिसकी संरचना निर्धारित की जाएगी।

परन्तु राष्ट्रीय निगरानी समिति में सिविल सोसाइटी और कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के मुद्दों पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे

19. केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी - केंद्र सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, संसद द्वारा विधि के अनुसार किए गए उचित विनियोजन के बाद, पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी।

20. राज्य सरकार के कर्तव्य - राज्य सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी -

(क) राज्य महिला आयोग में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त कर्मियों को नियुक्त करना।

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन जिलों को संसाधन प्रदान करना जहाँ जादू-टोना भूत-प्रेत या अन्य अंधविश्वास से जुड़ी घटनाएं प्रचलित हैं;

(ग) राज्य महिला आयोग को निर्देश दें कि वह अंधविश्वास और कुरीति से जुड़े मुद्दे के संबंध में हितधारकों, जिसमें अधिकारी और जनता शामिल हैं, के लिए संवेदनशीलता और प्रशिक्षण के उपाय करें।

(घ) पीड़ितों के साथ-साथ गवाहों की गवाही के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करें।

(ङ) भूत-प्रेत जादू-टोना, टोनही, डाकन, डायन ब्रांडिंग और डायन-शिकार के पीड़ितों के लिए निर्धारित तरीके से राहत और मुआवजा देना;

(च) भूत-प्रेत जादू-टोना टोनही, डाकन, डायन-ब्रांडिंग और डायन-शिकार के पीड़ितों के लिए निर्धारित तरीके से पुनर्वास तंत्र और योजनाएं प्रदान करना।

(छ) भूत-प्रेत जादू-टोना टोनही, डायन-बिसाही के पीड़ितों के लिए चिकित्सा और परामर्श सेवाएँ प्रदान करना:

(ज) सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग करें ताकि समुदायों को इस अधिनियम के बारे में सूचित किया जा सके, जिसमें आदिवासी नेताओं, धार्मिक नेताओं, जाति नेताओं और समुदाय के नेताओं के साथ संवाद भी शामिल हो।

(झ) प्रशासन, स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, संबंधित व्यक्तियों और शिक्षाविदों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से भूत-प्रेत जादू-टोना; टोनही प्रथा, कुरीतियों, अंधविश्वासों इत्यादि के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए कदम उठाएं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार का खतरा सबसे अधिक व्याप्त है;

(ञ) ग्राम स्तर पर महिला समूहों को संगठित करने और ऐसे क्षेत्रों में कमजोर महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए ऐसे समूहों के परामर्श से रचनात्मक योजनाएं तैयार करने के लिए कदम उठाना; और

(ट) राज्य के प्रत्येक जिले में मानसिक चिकित्सकों का पैनल गठित किया जाये और स्वयं पर किसी दैवीय प्रकोप भूत-प्रेत के प्रभाव के होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की जांच की जाये और उचित उपचार की व्यवस्था किया जाए।

21. जिला स्तर पर उठाए जाने वाले कदम - (1) जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्र स्तरीय स्वैच्छिक संगठनों के परामर्श से, जिले में उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो भूत-प्रेत जादू-टोना; टोनही प्रथा, कुरीतियों, अंधविश्वासों, डायन ब्रांडिंग और डायन-प्रताड़ना की घटनाओं से ग्रस्त हैं और इन पर जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों को नामित करेंगे। ऐसी प्रथाओं की रोकथाम और निषेध सुनिश्चित करेंगे।

(2) समुचित सरकार संबंधित गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों और व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक जिला स्तरीय कार्यबल स्थापित करेगी, जो उन सभी क्षेत्रों में जो भूत-प्रेत जादू-टोना; टोनही प्रथा, कुरीतियों, अंधविश्वासों, डायन ब्रांडिंग और डायन-प्रताड़ना की घटनाओं से ग्रस्त हैं और इनसे संबंधित घटनाएं बार-बार हो रही हैं। इस कार्यबल को ऐसे कार्य सौंपे जाएंगे, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) प्रत्येक जिला स्तरीय कार्यबल भूत-प्रेत जादू-टोना; टोनही प्रथा, कुरीतियों, अंधविश्वासों, डायन ब्रांडिंग और डायन-प्रताड़ना के मामलों को निर्धारित तरीके से संबोधित करने के लिए बजट आवश्यकताओं के साथ एक वार्षिक जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करेगी।

(4) जिला स्तरीय कार्यबल क्षेत्रीय स्थिति पर राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें निर्धारित तरीके से निपटाए गए मामलों की संख्या, मुआवजा और पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार राष्ट्रीय निगरानी समिति को वार्षिक रूप से कम से कम एक बार आवधिक रिपोर्ट ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगी जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(6) किसी भी क्षेत्र के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट सभी सरकारी पदाधिकारी और पंचायत सहित स्थानीय निकाय और ऐसे क्षेत्र के निवासियों को, यदि उनके पास विश्वास करने का कारण है या ज्ञान है कि भूत-प्रेत जादू-टोना; टोनही प्रथा, कुरीतियों, अंधविश्वासों, डायन ब्रांडिंग और डायन-प्रताड़ना के क्षेत्र में अपराध होने वाला है, या किया गया है, तो ऐसे तथ्य की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को देगा और इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के कार्यान्वयन में पुलिस की सहायता करेगा।

अध्याय 6

विशेष प्रावधान

22. प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास - (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए पीड़ित या उनके निकट संबंधियों को पुनर्वास अनुदान प्रदान करेगी, और उन अन्य अपराधों के लिए भी जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में लागू अन्य आपराधिक कानूनों में परिभाषित हैं, निर्धारित तरीके से अनुदान का भुगतान करेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वह ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के साथ परामर्श करके एक दीर्घकालिक समुदाय-आधारित पुनर्वास योजना तैयार करें, ताकि भूत-प्रेत जादू-टोना; टोनही प्रथा, कुरीतियों, अंधविश्वासों, डायन ब्रांडिंग और डायन-प्रताड़ना के शिकार व्यक्ति या उनके निकट संबंधी को समुदाय में ही बसाया जा सके, और उनके संसाधनों, जिनमें चल और अचल संपत्ति शामिल है, को बहाल किया जा सके। यदि ये संसाधन नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें अपराध से पहले की स्थिति के अनुसार पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाए। और यदि पीड़ित या उनके निकट संबंधी को समुदाय के भीतर बहाल नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें पास के गांव या शहरी क्षेत्र में पर्याप्त समर्थन और संसाधनों के साथ आवास या आवासीय भूमि प्रदान की जाएगी।

(3) समुचित सरकार ऐसे कार्यों के साथ ब्लॉक स्तर पर वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करेगी, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

23. पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार - भूत-प्रेत, जादू-टोना; टोनही प्रथा, कुरीतियों, अंधविश्वासों, डायन ब्रांडिंग और डायन-प्रताड़ना के शिकार व्यक्ति या उनके परिजनों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार होगा।

24. अपराध के दोषी व्यक्तियों पर संहिता की धारा 401 या अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू न होना - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 401 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जो इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाते हैं और जिनकी आयु इक्कीस वर्ष या उससे अधिक है।

25. अपराध करने वाले व्यक्तियों पर संहिता की धारा 482 का लागू न होना - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के आरोप में गिरफ्तार करने के संबंध में लागू नहीं होंगे।

26. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कुछ प्रावधानों का लागू होना - इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), अध्याय II, अध्याय III, अध्याय V, धारा 61, धारा 190 और धारा 62 के प्रावधान, जहाँ तक संभव हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

27. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव - इस अधिनियम के उपबंध, किसी अन्य विधि, प्रथा, प्रचलन या प्रभावी किसी साधन में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

28. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण - इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या

प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

29. नियम बनाने की शक्ति - (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को, जैसे ही संभव हो, दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, जब संसद सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या एक या अधिक लगातार सत्रों में हो सकता है। यदि, अगले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन किसी संशोधन पर सहमत होते हैं या दोनों सदन यह सहमत होते हैं कि नियम को नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम केवल उस संशोधित रूप में लागू होगा या लागू नहीं होगा, जैसा कि मामला हो; हालांकि, किसी भी संशोधन या रद्दीकरण से पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

अनुसूची 1
कुरीतियों का वर्णन

(क) प्रथा और परम्परा के नाम पर विधवा महिला को घर के किसी कोने में रहने के लिए विवश करना, उनका मुंडन करना, समारोहों से बहिष्कृत करना, पुनर्विवाह पर रोक लगाना या इसी प्रकार के अन्य भेदभाव करना;

(ख) परिवार में महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध उन्हें पर्दा प्रथा के अनुपालन हेतु विवश किया जाना;

(ग) रजस्वला स्त्री से भेद-भाव करना, गोठ जैसी प्रथा को निभाने के लिए विवश करना, पूजा अर्चना हेतु मंदिर इत्यादि में प्रवेश पर रोक लगाना;

(घ) महिलाओं को डायन, चुड़ैल, टोनही इत्यादि होने का आरोप लगाकर उनका शोषण करना; उनकी सम्पत्ति को अवैध तरीके से प्राप्त करना;

(ङ) मंदिरों में सेवा हेतु देवदासी प्रथा का पोषण करना, देवदासी बनने के लिए प्रलोभन एवं प्रोत्साहन देना;

(च) बाबाओं, साधुओं द्वारा महिलाओं को मोक्ष प्रदान करने के नाम पर उन्हें कोड़े मारना, केश कटाने के लिए विवश करना, यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना;

(छ) कौमार्य परीक्षण करना, कौमार्य परीक्षण में शामिल होना तथा इस परीक्षण में फेल होने वाली महिला को प्रताड़ित करना;

(ज) मांगलिक कन्या को कुत्ते आदि से विवाह करने हेतु विवश करना;

(झ) साठा प्रथा अर्थात दो परिवारों के बीच ही वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए विवश किया जाना;

(ञ) सफ़ेद दाग रोगियों से भेदभाव करना;

(ट) लैंगिक अपराध की शिकार महिला से भेदभाव करना;

(ठ) अपना नाम एवं पहचान छोड़ देने के लिए पति अथवा उसके नातेदारों द्वारा विवाहित महिला को विवश किया जाना;

(ड) लिंग निर्धारण में महिला को जिम्मेदार मान कर उससे विवाह विच्छेद करना या करने की धमकी देना, उसे प्रताड़ित करना;

(ढ) बांझपन की शिकार महिला के साथ भेद-भाव करना उसे उलाहना देना;

(ण) वर्षा हेतु अविवाहित लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया जाना;

(त) तालकशुदा दम्पत्ति के पुनर्विवाह हेतु मान्य प्रक्रिया (हलाला) के लिए विवश किया जाना;

अनुसूची 2

अंधविश्वासों का वर्णन

(क) भूत-प्रेत को भगाने के बहाने किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर मारपीट करना, डंडे या चाबुक से पीटना, जूते में भिगोया हुआ पानी पिलाना, मिर्च का धुंआ देना, छत पर लटकाना, रस्सी से बांधना, उसके बालों को नोचना, शरीर पर गर्म वस्तु को स्पर्श कराना, खुले में यौन कार्य करने के लिए मजबूर करना, उसके मुंह में जबरन मूत्र या मानव मल डालना या इसी प्रकार के अन्य अमानवीय कृत्य करना।

(ख) करणी, भानामति के नाम पर बहुमूल्य वस्तुओं, धन, जल संसाधनों की खोज में या इसी प्रकार के अन्य कारणों से कोई अमानवीय, दुष्ट एवं अघोरी कृत्य तथा काला जादू करना, जारण-मरण आदि के नाम पर मानव बलि देना या देने का प्रयास करना, या ऐसे अमानवीय कृत्य करने के लिए सलाह देना, उकसाना या प्रोत्साहित करना।

(ग) धन अर्जित करने के आशय से किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कार करने का दावा करना; और चमत्कारों के प्रचार और प्रसार द्वारा लोगों को धोखा देना, और आतंकित करना।

(घ) अलौकिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से अमानवीय, बुरी और अघोरी प्रथाओं का पालन करना, जो जीवन के लिए खतरा या गंभीर चोट का कारण बनती हैं; दूसरों को ऐसी प्रथाओं का पालन करने के लिए उकसाना, प्रोत्साहित करना या मजबूर करना।

(ङ) इंद्रियों द्वारा समझ से परे एक शक्ति ने किसी के शरीर को प्रभावित किया है या किसी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति है यह घोषणा करके धारणा बनाना, और इस तरह दूसरों के मन में डर पैदा करना, या उस व्यक्ति की सलाह का पालन न करने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी देना, या उसे धोखा देना, छल करना और उसे डराना;

(च) किसी व्यक्ति के संबंध में यह विश्वास दिलाना कि वह व्यक्ति काला जादू करता है या भूत-प्रेत के द्वारा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है;

(छ) किसी व्यक्ति को शैतान या शैतान का अवतार घोषित करना

(ज) भूत-प्रेत के नाम पर किसी भी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, उस पर हमला करना या उसे निर्वस्त्र घुमाना;

(झ) कुत्ते, साँप या बिच्छू के काटने पर किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार लेने से रोकना तथा उसके स्थान पर उसे मंत्र-तंत्र, गंडा-डोरा या ऐसी ही अन्य चीजों से उपचार देना।

(ञ) आलिंगन या चुम्बन के माध्यम से किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करना।

(ट) आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु यह धारणा बनाना कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियां हैं;

(ठ) यह दावा करना कि भक्त पिछले जन्म में उसका पत्नी, पति या प्रेमिका थी, और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के साथ यौन क्रियाकलाप में लिप्त होना;

(ड) गर्भधारण करने में असमर्थ किसी स्त्री के साथ यौन संबंध रखना, और उसे अलौकिक शक्ति के माध्यम से मातृत्व का आश्वासन देना;

7.3 भविष्य में शोध

शोधार्थी को ऐसा प्रतीत होता है की भारत में समाज के पिछड़ेपन का कारण "कुरीतियाँ और अंधविश्वास" हैं इसलिए भविष्य में इस विषय पर शोध किया जा सकता है कि हमारे देश में समाज के पिछड़ेपन का कारण कहीं धार्मिक बल प्राप्त **"कुरीतियाँ और अंधविश्वास"** तो नहीं है। क्योंकि इसका प्रभाव देश के विकास पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए संघर्ष कर रहा है।